



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-विनीरल कम्पनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

Telephone No: 01498 - 261227, 261202, Fax 261233 Email:  
csf.jetsar@indiaseeds.com

क0 - सीएसएफ/जैत/1-2/विप0/2019.20/

दिनांक 05.10.2019


:- निविदा सूचना:-

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर को निम्न रसायन की आवश्यकता है, जिनकी दर निविदा के माध्यम से दिनांक 21.10.2019 को दोपहर 02.00 बजे तक सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन सायं 03.00 बजे खोली जाएगी। इसकी धरोहर राशि 25,000/- होगी, जिसका आरटीजीएस निगम का खाता संख्या - 33963396672 (IFSC Code No: SBIN0008251) में जमा करना होगा अथवा बैंक ड्राफ्ट नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजुवाला पर देय होगा, निविदा में MSME से पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसकी विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है।

क्र.स.	रसायन का नाम	क्रय की जाने वाली मात्रा
1.	Carbendazim 50% WP	2588.00 Kg

निविदा की नियम व शर्तें:-

1. कीटनाशी रसायन ISI अथवा ISO ब्राण्डेड मार्क होना चाहिए।
2. निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, ISI, ISO मार्क का जैसा रसायन हो, लिखना अति आवश्यक है।
3. सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किग्रा. सभी कर सहित देनी होगी।
4. रसायनों की आपूर्ति का आदेश फर्म को मिलने के तुरन्त बाद 3-4 दिन के अन्दर पूरा रसायन के 0रा0फा0, जैतसर पर आपूर्ति करनी होगी।
5. रसायनों की जाँच हेतु नमूना के 0रा0फा0, जैतसर पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा।
6. समिति द्वारा लिये गये नमूनों की जाँच मान्यता प्राप्त कीटनाशी प्रयोगशाला में भेजकर करायी जायेगी।
7. प्रत्येक रसायन की जाँच का खर्च सम्बंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
8. प्रयोगशाला द्वारा जाँच के उपरान्त नमूना मानक स्तर का घोषित होने के उपरान्त फार्म द्वारा 10 से 15 दिन के अन्दर जाँच खर्च काटकर भुगतान कर दिया जायेगा।
9. अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता को पेन नम्बर की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
11. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
12. रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
13. रसायन जाँच में अमानक स्तर का घोषित होने पर सम्बंधित फर्म जाँच का खर्च फार्म में जमा करवाकर पूरा रसायन वापिस ले जायेगी।
14. निविदा फार्म पर जीएसटी नंबर अंकित होना करना होगा।

  
रसद अधिकारी  
कृते निदेशक